SelectionWay
New way of Learning
CONSTITUTIONAL
BODIES
LAW
CONSTITUTION
OF
INDIA
VOTE

SelectionWay

A Constitutional Body in India is an institution that derives its authority directly from the Constitution, with its composition, powers, and duties explicitly outlined within it.

भारत में एक संवैधानिक निकाय वह संस्था है जिसे अपनी शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं, और जिसकी संरचना, शक्तियाँ तथा कर्तव्य संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए होते हैं।

These bodies are crucial for upholding democratic governance by ensuring accountability and maintaining checks and balances within the system.

ये निकाय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और व्यवस्था में संतुलन तथा नियंत्रण (checks and balances) बनाए रखते हैं।

Direct Constitutional Mandate: Key characteristics of Constitutional Bodies include a direct constitutional mandate, which establishes their functions and protects them from executive influence, enabling them to operate independently of political interference.

(**प्रत्यक्ष संवैधानिक अधिकार:** संवैधानिक निकायों की प्रमुख विशेषताओं में प्रत्यक्ष संवैधानिक अधिकार शामिल है, जो उनके कार्यों को निर्धारित करता है और उन्हें कार्यपालिका के प्रभाव से सुरक्षित रखता है, जिससे वे राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकें।)

Amendment Requirement for Structural Changes:
Any structural changes to these bodies require a constitutional amendment, further emphasising their foundational role in the governance framework.

संरचनात्मक परिवर्तन के लिए संशोधन की आवश्यकता:
इन निकायों की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होता है, जो शासन व्यवस्था में उनकी मूलभूत भूमिका को और अधिक स्पष्ट करता है।

Election Commission :

The Election Commission is a permanent and independent body established directly by the Constitution of India to ensure free and fair elections in the country.

निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसकी स्थापना भारत के संविधान द्वारा सीधे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction, and control of elections to Parliament, State Legislatures, the office of the President of India, and the office of the Vice-President of India shall be vested in the Election Commission.

संविधान का अनुच्छेद 324 यह प्रावधान करता है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

Composition :

- The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix. / निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की ऐसी संख्या होगी, जिसे समय-समय पर राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं।
- The appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall be made by the President./ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- Since its inception in 1950 and till 15 October 1989, the Election Commission functioned as a single-member body consisting of the Chief Election Commissioner./ 1950 में स्थापना से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही शामिल थे।

Composition :

- On 16 October 1989, the President appointed two more Election Commissioners to cope with the increased work of the Election Commission due to the lowering of the voting age from 21 years to 18 years./ 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के बढ़ते कार्यभार को संभालने के लिए दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की, क्योंकि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।

- However, the two posts of Election Commissioners were abolished in January 1990 and the Election Commission was reverted to the earlier position. हालाँकि, जनवरी 1990 में निर्वाचन आयुक्तों के दोनों पद समाप्त कर दिए गए और निर्वाचन आयोग को फिर से उसकी पहले वाली स्थिति में कर दिया गया।

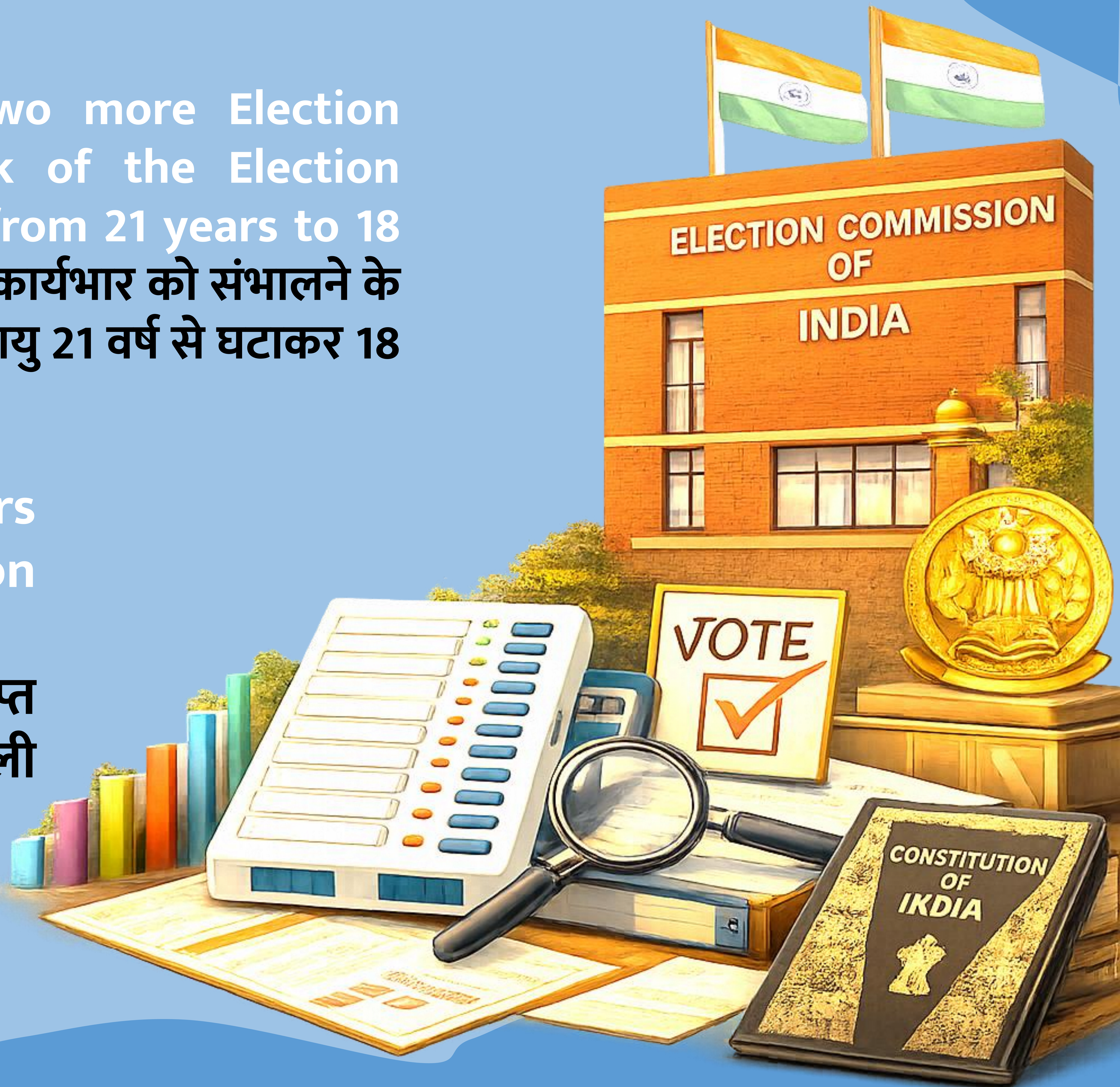

Composition :

- Again in 1993, the President appointed two more Election Commissioners. Since then and till today, the Election Commission has been functioning as a multi-member body.
  फिर 1993 में, राष्ट्रपति ने दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। तब से लेकर आज तक निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member body) के रूप में कार्य कर रहा है।
- Tenure: 6 years or up to 65 years of age.
  कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो)।
- The Chief Election Commissioner can be removed only in a manner similar to a Supreme Court Judge (by Parliament).
  मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को केवल उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात् संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से।

Constitutional Bodies

Powers and Functions

1. To determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of the Delimitation Commission Act of Parliament.
   संसद द्वारा बनाए गए परिसीमन आयोग अधिनियम (Delimitation Commission Act) के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करना।
2. To prepare and periodically revise electoral rolls and to register all eligible voters.
   मतदाता सूची (Electoral Rolls) तैयार करना, समय-समय पर उसका संशोधन करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना।
3. To notify the dates and schedules of elections and to scrutinize nomination papers.
   चुनाव की तिथियों और कार्यक्रम की घोषणा करना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना।
4. To grant recognition to political parties and allot election symbols to them.
   राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना।

Constitutional Bodies

Powers and Functions

5. To determine the code of conduct to be observed by the parties and the candidates at the time of elections.
चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले आचार संहिता (Code of Conduct) का निर्धारण करना।
6. To advise the President on matters relating to the disqualifications of the members of Parliament.
संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
7. To cancel polls in the event of rigging, booth capturing, violence and other irregularities.
धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अन्य अनियमितताओं की स्थिति में चुनाव को रद्द करना।

Union Public Service Commission (UPSC)

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

- The UPSC (Union Public Service Commission) is the central recruiting agency in India./ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
- Articles 315 to 323 in Part XIV of the Constitution contain detailed provisions regarding the composition, appointment and removal of members, along with the independence, powers and functions of the UPSC. संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक UPSC की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया के साथ-साथ उसकी स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं।

Composition:

- Chairman and other members (number decided by the President).
  संरचना: एक अध्यक्ष (Chairman) और अन्य सदस्य, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

- Tenure: 6 years or until 65 years of age.
  कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो)।

Removal

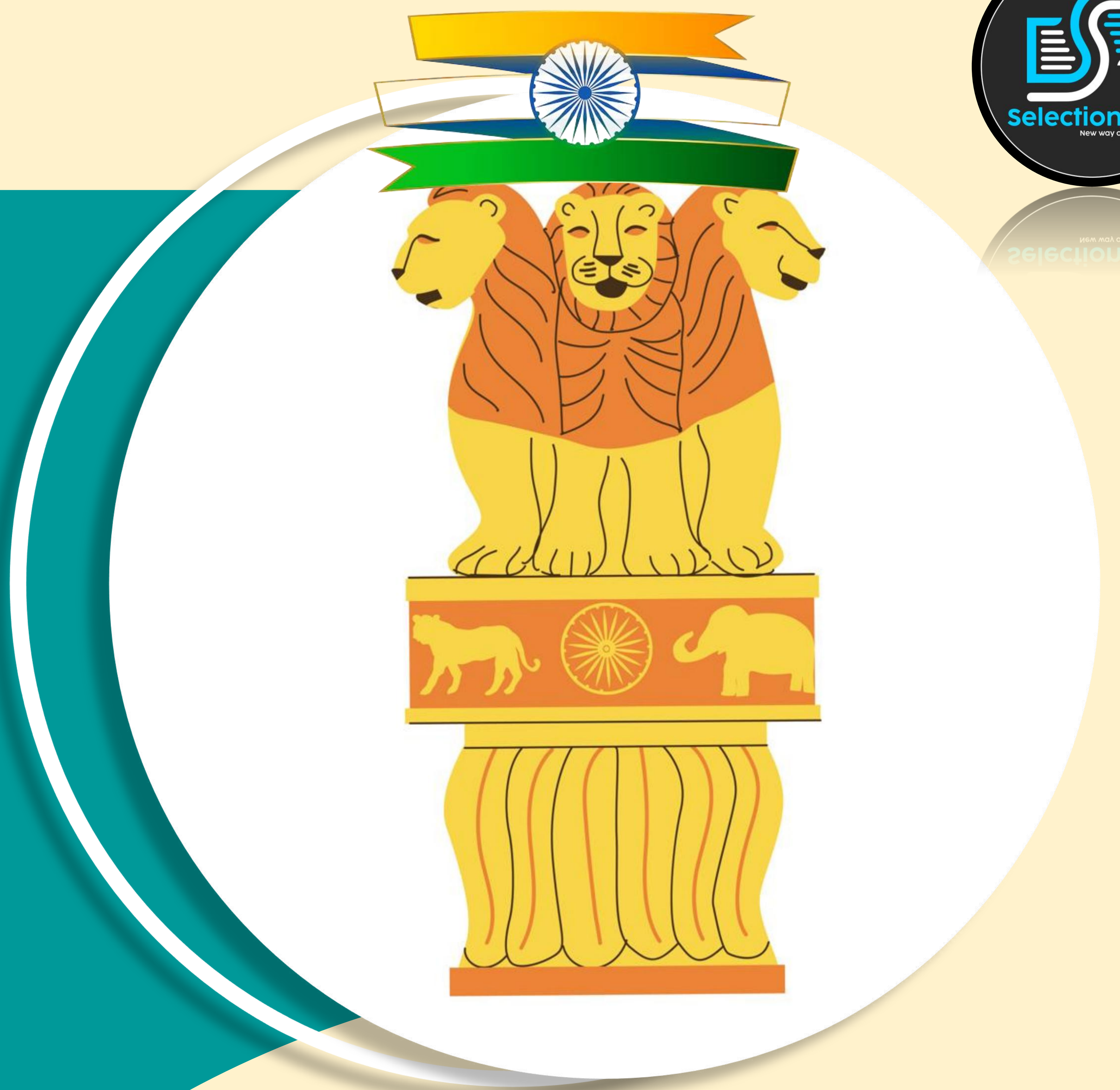

- The President can remove the Chairman or any other member of UPSC from office under the following circumstances:
  राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकते हैं।

- If he/she is adjudged an insolvent.
  यदि उसे दिवालिया (Insolvent) घोषित किया गया हो।

- If he/she engages, during his/her term of office, in any paid employment outside the duties of his/her office.
  यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य वेतनभोगी कार्य में संलग्न हो।

- If he/she is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.
  यदि राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो।

Functions

- It conducts examinations for appointments to the All India Services and services of the centrally administered territories.
  यह अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है।

- It assists the states (if requested by two or more states) in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualifications are required.
  यह राज्यों की सहायता करता है (यदि दो या अधिक राज्य अनुरोध करें) ताकि ऐसी सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती योजनाएँ तैयार और संचालित की जा सकें, जिनके लिए विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है।

- It serves all or any of the needs of a state on the request of the State Governor and with the approval of the President of India.
  यह किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध और भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से उस राज्य की सभी या कुछ भर्ती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

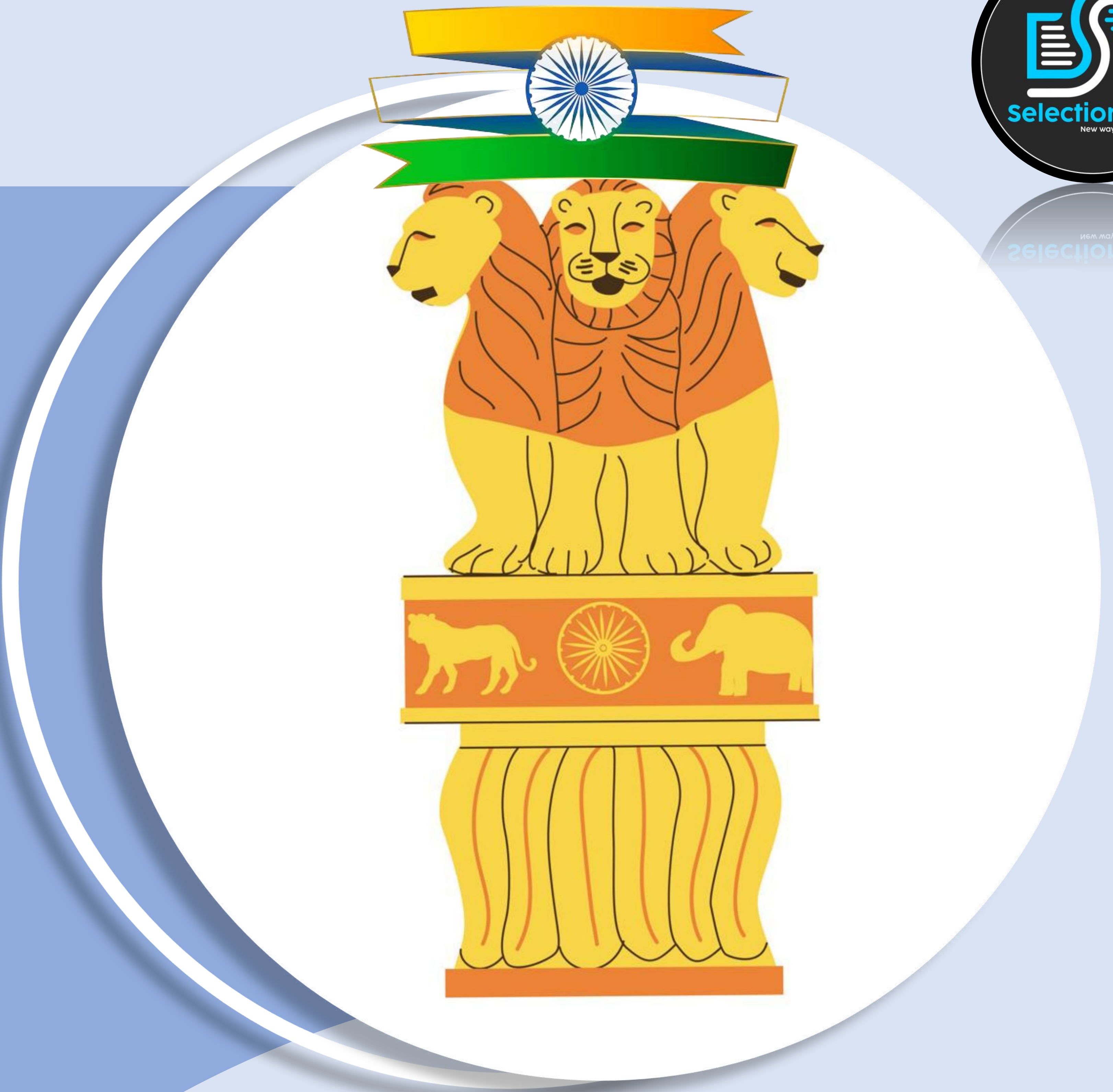

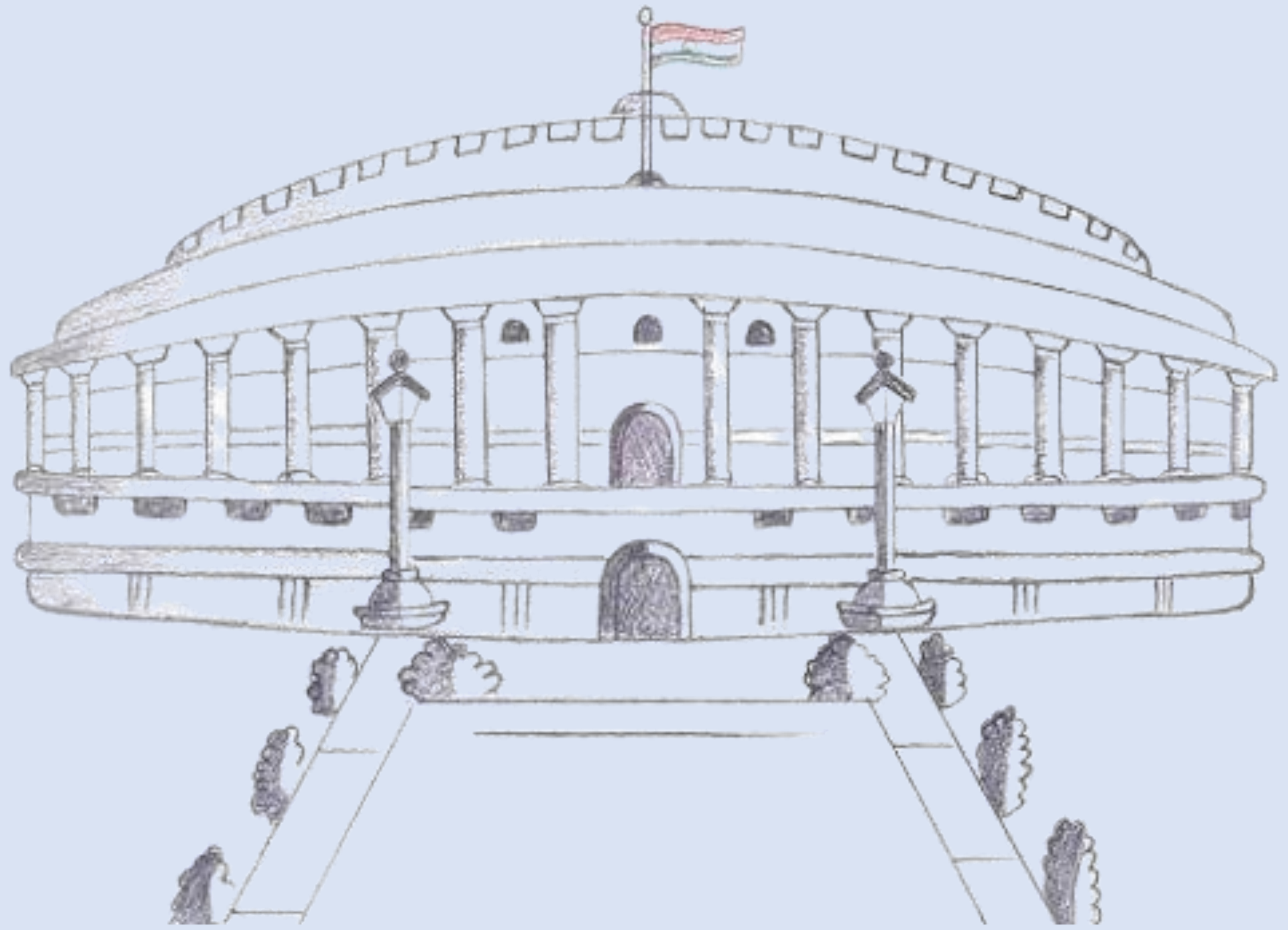

State Public Service Commission

Article 315 – 323

Composition & Appointment :

- Chairman + members (appointed by the Governor)
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- Similar functions as UPSC, but for state services
- UPSC के समान कार्य, लेकिन राज्य सेवाओं के लिए।

Reports :

- Annual report submitted to Governor, laid before state legislature. / वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है और उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

Finance Commission

- Article 280 of the Constitution of India provides for a Finance Commission as a quasi–judicial body.
  भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग (Finance Commission) के गठन का प्रावधान करता है, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi–Judicial Body) है।
- It is constituted by the President of India every five years or at such earlier time as he/she considers necessary.
  इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में या आवश्यकता होने पर उससे पहले भी किया जा सकता है।
- Till now, fifteen Finance Commissions have been constituted.
  अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है।

Composition :

- Composition: The Finance Commission consists of a Chairman and four other members, who are appointed by the President of India.
  संरचना: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- They hold office for such period as specified by the President in his/her order.
  वे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि तक अपने पद पर कार्य करते हैं।

- They are eligible for reappointment.
  वे पुनर्नियुक्ति (Reappointment) के लिए भी पात्र होते हैं।

Qualifications :

The Chairman should be a person having experience in public affairs, and the four other members should be selected from among the following:/ अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोक मामलों (Public Affairs) का अनुभव हो, और अन्य चार सदस्यों का चयन निम्नलिखित में से किया जाता है:

- A Judge of a High Court or a person qualified to be appointed as one.
  उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो उस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हो।

- A person who has specialized knowledge of finance and accounts of the government./ ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा (Finance and Accounts) का विशेष ज्ञान हो।

- A person who has wide experience in financial matters and administration./ ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो।

- A person who has special knowledge of economics.
  ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र (Economics) का विशेष ज्ञान हो।

Functions

Recommends :

- **Division of tax revenue between the Centre and the States.**
  केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का विभाजन करना।
- **Grants-in-aid to the States from the Consolidated Fund of India.**
  भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) से राज्यों को अनुदान (Grants-in-aid) देने की सिफारिश करना।
- **Measures to improve financial stability.**
  वित्तीय स्थिरता में सुधार के उपाय सुझाना।
- **The Commission submits its report to the President.**
  आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
- **The President lays the report before both Houses of Parliament along with an explanatory memorandum regarding the action taken on its recommendations.**/ राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (Explanatory Memorandum) के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण होता है।
- **The recommendations made by the Finance Commission are advisory in nature and hence not binding on the government.**
  वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहात्मक (Advisory) प्रकृति की होती हैं, इसलिए वे सरकार पर बाध्यकारी (binding) नहीं होतीं।

- **The first Chairman of the Finance Commission was K. C. Neogy.**
  वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के. सी. नियोगी (K. C. Neogy) थे।

- **The second Chairman of the Finance Commission was K. Santhanam.**
  वित्त आयोग के द्वितीय अध्यक्ष के. संथानम (K. Santhanam) थे।

- **The fifteenth Chairman of the Finance Commission was N. K. Singh.**
  वित्त आयोग के पंद्रहवें अध्यक्ष एन. के. सिंह (N. K. Singh) थे।

Goods and Services Tax Council

- The Goods and Services Tax (GST) Council is a constitutional body formed under Article 279A, established by the 101st Constitutional Amendment Act, 2016, to implement and regulate GST in India.
- वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन अनुच्छेद 279A के अंतर्गत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा भारत में GST को लागू और विनियमित करने के लिए किया गया।

- Article 279A empowered the President of India to constitute a GST Council by an order. / अनुच्छेद 279A ने भारत के राष्ट्रपति को आदेश द्वारा GST परिषद के गठन का अधिकार प्रदान किया।
- Accordingly, the President issued the order in 2016 and constituted the Council. / इसके अनुसार, 2016 में राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर GST परिषद का गठन किया।
- The Union Revenue Secretary is the ex-officio Secretary to the Council./ केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव होते हैं।

Composition :

- The GST Council is a joint forum of the Centre and the States and consists of the following members:

  GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच (Joint Forum) है और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

- The Union Finance Minister as the Chairperson.

  केंद्रीय वित्त मंत्री — अध्यक्ष (Chairperson) के रूप में।

- The Union Minister of State in charge of Revenue or Finance.

  राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री।

- The Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government.

  प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या कोई अन्य मंत्री

Functions :

The council is required to make recommendations to the centre and the states on the following matters: / परिषद को निम्नलिखित मामलों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है:

- The taxes, cesses and surcharges levied by the centre, the states and the local bodies that would get merged in GST. / केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार जो GST में सम्मिलित किए जाएंगे।

- The goods and services that may be subjected to GST or exempted from GST. / वे वस्तुएँ और सेवाएँ जो GST के अंतर्गत लाई जाएँगी या GST से मुक्त होंगी।

- The threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from GST. / टर्नओवर की वह सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को GST से छूट दी जा सकती है।

Functions :

- The rates including floor rates with bands of GST.
  GST की दरें, जिनमें न्यूनतम दर (फ्लोर रेट) और उसके बैंड शामिल हैं।

- Any other matter relating to GST, as the Council may decide.
  GST से संबंधित कोई अन्य विषय, जैसा परिषद निर्णय करे।

- Special provisions with respect to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
  अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान।

National Commission for Scheduled Castes (NCSC)

- Established under Article 338, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) initially began as a Special Officer for SCs but became a multi-member commission after the 89th Amendment Act (2003), which separated it from the ST commission.
- अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) प्रारम्भ में अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) के बाद यह एक बहु-सदस्यीय आयोग बन गया, जिसने इसे ST आयोग से अलग कर दिया।

Functions :

- To investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the SCs and to evaluate their working.
  अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना।

- Any other matter relating to GST, as the Council may decide.
  GST से संबंधित कोई अन्य विषय, जैसा परिषद निर्णय करे।

- Special provisions with respect to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
  अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान।

Powers :

- The commission is vested with the power to regulate its own procedure. / आयोग को अपनी कार्यप्रणाली को स्वयं विनियमित (नियंत्रित) करने की शक्ति प्राप्त है।
- The commission, while investigating any matter or inquiring into any complaint, has all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters:
- किसी भी मामले की जांच या किसी शिकायत की पूछताछ करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय के समान सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में:
- Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him/her on oath;
  भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और उसे शपथ पर जांचना।
- Requiring the discovery and production of any document;
  किसी भी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुत करने की मांग करना।

Powers :

- Receiving evidence on affidavits;
  हलफनामों के आधार पर साक्ष्य स्वीकार करना।

- Requisitioning any public record from any court or office;
  किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख मंगवाना।

- Issuing summons for the examination of witnesses and documents; / गवाहों और दस्तावेज़ों की जांच के लिए समन जारी करना।

- Any other matter which the President may determine.
  कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करें।

National Commission for Scheduled Tribes (NCST)

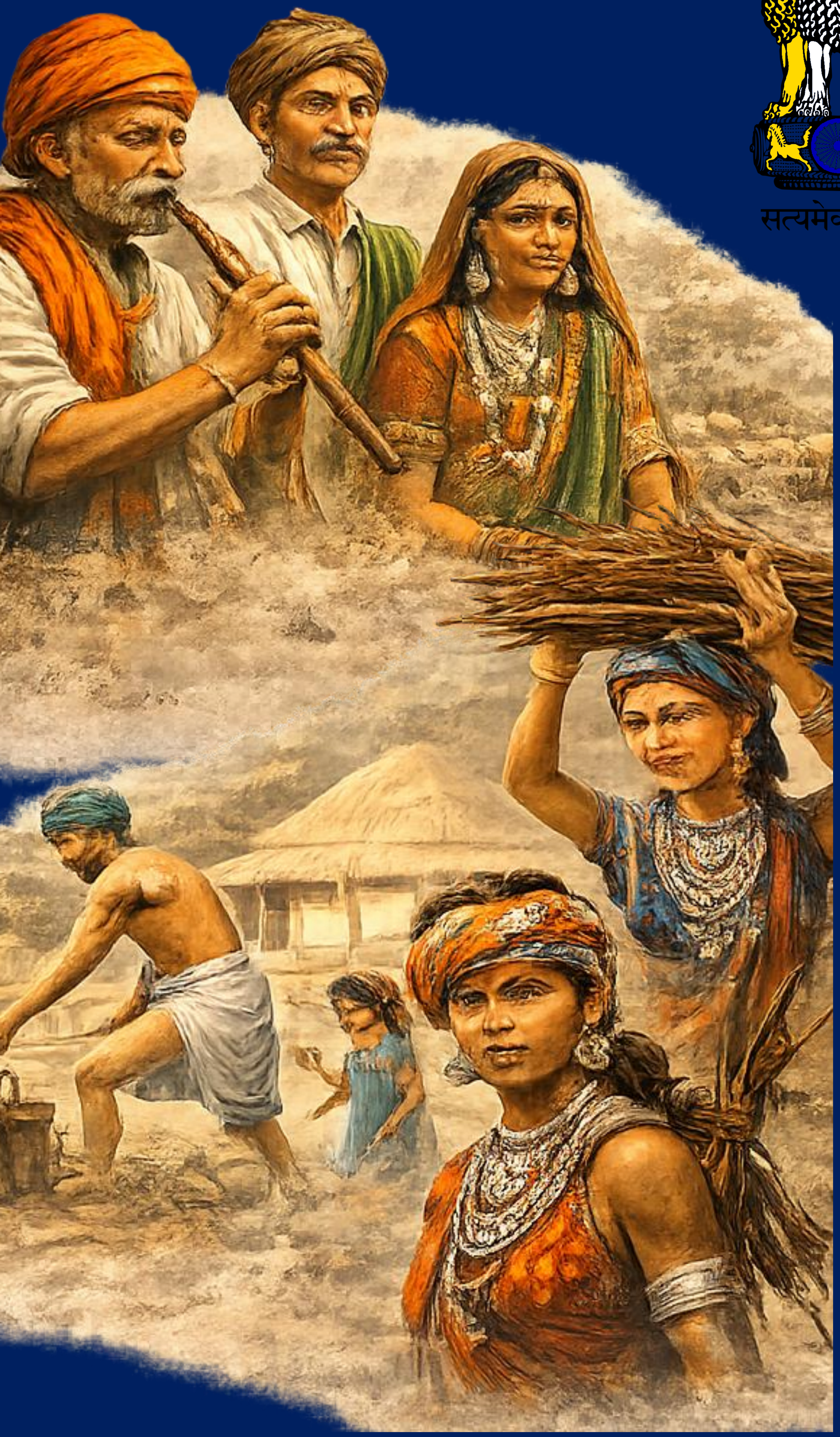

- The National Commission for Scheduled Tribes (NCST), established under Article 338-A by the 89th Constitutional Amendment Act, 2003, became a separate body in 2004 to address the needs of Scheduled Tribes (STs)./ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), जिसे संविधान के अनुच्छेद 338-A के तहत 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा स्थापित किया गया, 2004 में अनुसूचित जनजातियों (STs) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग निकाय बना।
- It consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson and three other members./ इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- They are appointed by the President by warrant under his hand and seal./ इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट के माध्यम से की जाती है।

Functions

- To investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the STs and to evaluate their working.

  अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना।

- To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the STs.

  अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना।

- To participate and advise on the planning process of socio-economic development of the STs and to evaluate the progress of their development under the Union or a state.

  अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ या राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

Functions

- To present to the President, annually and at such other times as it may deem fit, reports upon the working of those safeguards.
  इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर वार्षिक तथा आवश्यकतानुसार अन्य समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- To discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the STs as the President may specify.
  अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

- The commission presents an annual report to the President.
  आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

Powers

❖ The commission, while investigating any matter or inquiring into any complaint, has all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters:
किसी भी मामले की जांच या किसी शिकायत की पूछताछ करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय के समान सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में:

a) Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him/her on oath;
भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और उसे शपथ पर जांचना।

b) Requiring the discovery and production of any document;
किसी भी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुत करने की मांग करना।

c) Receiving evidence on affidavits;
हलफनामों के आधार पर साक्ष्य स्वीकार करना।

Powers

d) Requisitioning any public record from any court or office;
किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख मंगवाना।

e) Issuing summons for the examination of witnesses and documents;
गवाहों और दस्तावेज़ों की जांच के लिए समन जारी करना।

f) Any other matter which the President may determine.
कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करें।

National Commission for Backward Classes (NCBC)

सत्यमेव जयते

- The National Commission for Backward Classes (NCBC) was established in 1993 following the Supreme Court's Mandal decision and became a constitutional entity in 2018 under Article 338-B of the 102nd Amendment. / राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना 1993 में सुप्रीम कोर्ट के मंडल निर्णय के बाद हुई और 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338-B द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला।

- The commission consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson and three other members. / इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं।

- They are appointed by the President by warrant under his hand and seal. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट के माध्यम से की जाती है।

Powers

Same as NCSC & NCST

Special officer for Linguistic Minorities

- Originally, the Constitution of India did not make any provisions with respect to the Special Officer for Linguistic Minorities. / मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था।
- Later, the State Reorganisation Commission (1953–55) made a recommendation in this regard. / बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953–55) ने इस संबंध में सिफारिश की।
- Accordingly, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 inserted a new Article 350-B in Part XVII of the Constitution./ इसी के अनुसार 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग XVII में नया अनुच्छेद 350-B जोड़ा गया।

Special officer for Linguistic Minorities

This article contains the following provisions: / इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- There should be a Special Officer for Linguistic Minorities (appointed by the President). / भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा (जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी)।
- It would be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution. / इस विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करे।

Objectives

- To provide equal opportunities to the linguistic minorities for inclusive development and national integration.
  समावेशी विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करना।

- To spread awareness amongst the linguistic minorities about the safeguards available to them. / भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना।

- To handle the representation for redress of grievances related to the safeguards for linguistic minorities.
  भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए प्राप्त अभ्यावेदन को संभालना।

Comptroller and Auditor General of India

- The Comptroller and Auditor General of India (CAG) is a constitutional authority established under **Article 148** of the Indian Constitution./ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148** के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है।
- The CAG acts as the guardian of the public purse and ensures accountability of the government in the management of public funds./ CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और सार्वजनिक निधियों के प्रबंधन में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

Objectives

1. Appointment and Term

- Appointed by: The President of India. / नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
- Term: 6 years or until the age of 65 years, whichever is earlier.
  कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- Removal: The CAG can be removed by the President in the same manner as a Supreme Court judge (i.e., by Parliament on grounds of proven misbehavior or incapacity).
  हटाना: CAG को राष्ट्रपति द्वारा उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को (अर्थात् सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा)।

2. Oath

The CAG takes an oath of office and secrecy before the President.
CAG राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

3. Duties and Powers (Article 149)

The CAG performs the following functions: / CAG निम्नलिखित कार्य करता है:

- ❑ Audits all receipts and expenditure of:
  निम्नलिखित की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा-परीक्षण करता है:
- ❑ The Central and State Governments. / केंद्र और राज्य सरकारें।
- ❑ Union Territories with legislatures. / विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश।

Audits accounts of:

- Government companies (under the Companies Act).
  सरकारी कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम के अंतर्गत)।
- Public sector undertakings (PSUs).
  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)।

Submits reports to:

- President (for the Union) → laid before Parliament.
  राष्ट्रपति (संघ के लिए) → संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- Governor (for a State) → laid before State Legislature.
  राज्यपाल (राज्य के लिए) → राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- Advises the government on accounting methods and procedures.
  सरकार को लेखा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देता है।

4. Independence of CAG

To ensure independence:

- His salary and conditions of service cannot be changed to his disadvantage after appointment. / नियुक्ति के बाद उसके वेतन और सेवा की शर्तों को उसके प्रतिकूल नहीं बदला जा सकता।
- His salary and expenses are charged on the Consolidated Fund of India (not subject to vote of Parliament). / उसका वेतन और खर्च भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं और संसद के मतदान के अधीन नहीं होते।
- He is not eligible for further office after retirement. सेवानिवृत्ति के बाद वह किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता।

5. Reports of CAG

- **The CAG submits three main types of audit reports:**

  1. Audit Report on Appropriation Accounts
  विनियोग लेखों (Appropriation Accounts) पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
  2. Audit Report on Finance Accounts
  वित्तीय लेखों (Finance Accounts) पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
  3. Audit Report on Public Undertakings
  सार्वजनिक उपक्रमों (Public Undertakings) पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

  These reports are examined by the Public Accounts Committee (PAC) of Parliament or State Legislature. / इन रिपोर्टों की जांच संसद या राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा की जाती है।

6. Role and Importance

- Ensures financial accountability of the executive.
  कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

- Acts as the watchdog of public finance.
  सार्वजनिक वित्त का प्रहरी (watchdog) के रूप में कार्य करता है।

- Helps Parliament and State Legislatures in ensuring transparency in government spending./ सरकारी व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में संसद और राज्य विधानसभाओं की सहायता करता है।

CAG = Guardian of the Public Purse
Ensures that money granted by the Parliament is spent only for the purpose it was intended and within legal limits.

Article No.	Subject matter
Article 148	Comptroller and auditor- general of India
Article 149	Duties and powers of the CAG
Article 150	Form of accounts of the Union and the states
Article 151	Audit reports

Attorney General of India

- The Attorney General of India (AGI) is the highest law officer of the country and the chief legal adviser to the Government of India.भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India - AGI) देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं।
- This post is established under Article 76 of the Indian Constitution. यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

1 Appointment and Term

Appointed by (नियुक्ति) :- The President of India. / भारत के राष्ट्रपति द्वारा।

Qualifications (योग्यता) :-

Must be a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court, i.e./ वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, अर्थात–

- Citizen of India./ भारत का नागरिक होना चाहिए।
- Has been a judge of some High Court for 5 years, or
  किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो, या
- Has been an advocate in a High Court for 10 years, or
  किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या
- Is an eminent jurist in the opinion of the President.
  राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Eminent Jurist) हो।

Term (कार्यकाल) :- Not fixed by the Constitution. / संविधान द्वारा निश्चित नहीं है।

Holds office during the pleasure of the President.
राष्ट्रपति की इच्छा (Pleasure) तक पद पर बने रहते हैं।

Remuneration (वेतन/मानदेय):- Determined by the President.
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

2 Duties and Functions (Article 76(2))

The Attorney General's main duties are:

1. To advise the Government of India on legal matters referred to him. / भारत सरकार को संदर्भित कानूनी मामलों पर सलाह देना।
2. To perform legal duties assigned by the President.
   राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करना।
3. To appear on behalf of the Government of India in:
   भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित न्यायालयों में उपस्थित होना:

- Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट
- High Courts (in cases involving the Union Government)
- उच्च न्यायालय (जहाँ केंद्र सरकार से संबंधित मामले हों)

4. To represent the Government in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 (Advisory Jurisdiction). / अनुच्छेद 143 (परामर्शात्मक अधिकार क्षेत्र) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए संदर्भों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
5. To discharge other legal functions assigned by the President.
   राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्यों का निर्वहन करना।

RIGHTS : 3 Rights and Limitations

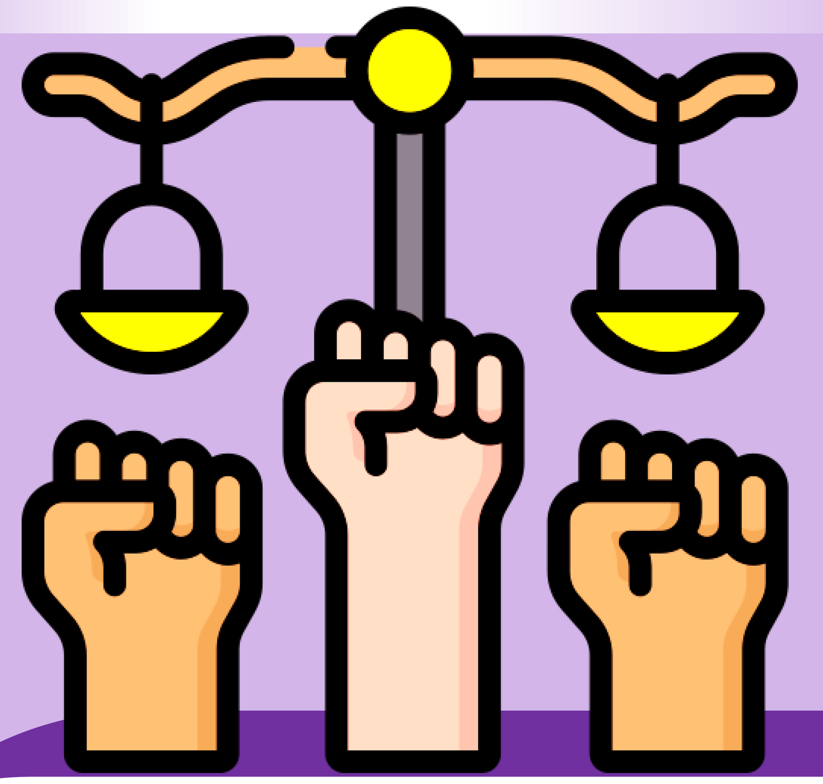

- Has the right of audience in all courts in India.
  भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने (वकालत करने) का अधिकार होता है।

- Has the right to speak and take part in the proceedings of both Houses of Parliament (and their joint sittings) but without the right to vote.
  संसद के दोनों सदनों (और उनके संयुक्त अधिवेशन) की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता।

- Can be invited to Parliamentary Committees.
  उन्हें संसदीय समितियों में आमंत्रित किया जा सकता है।

Limitations

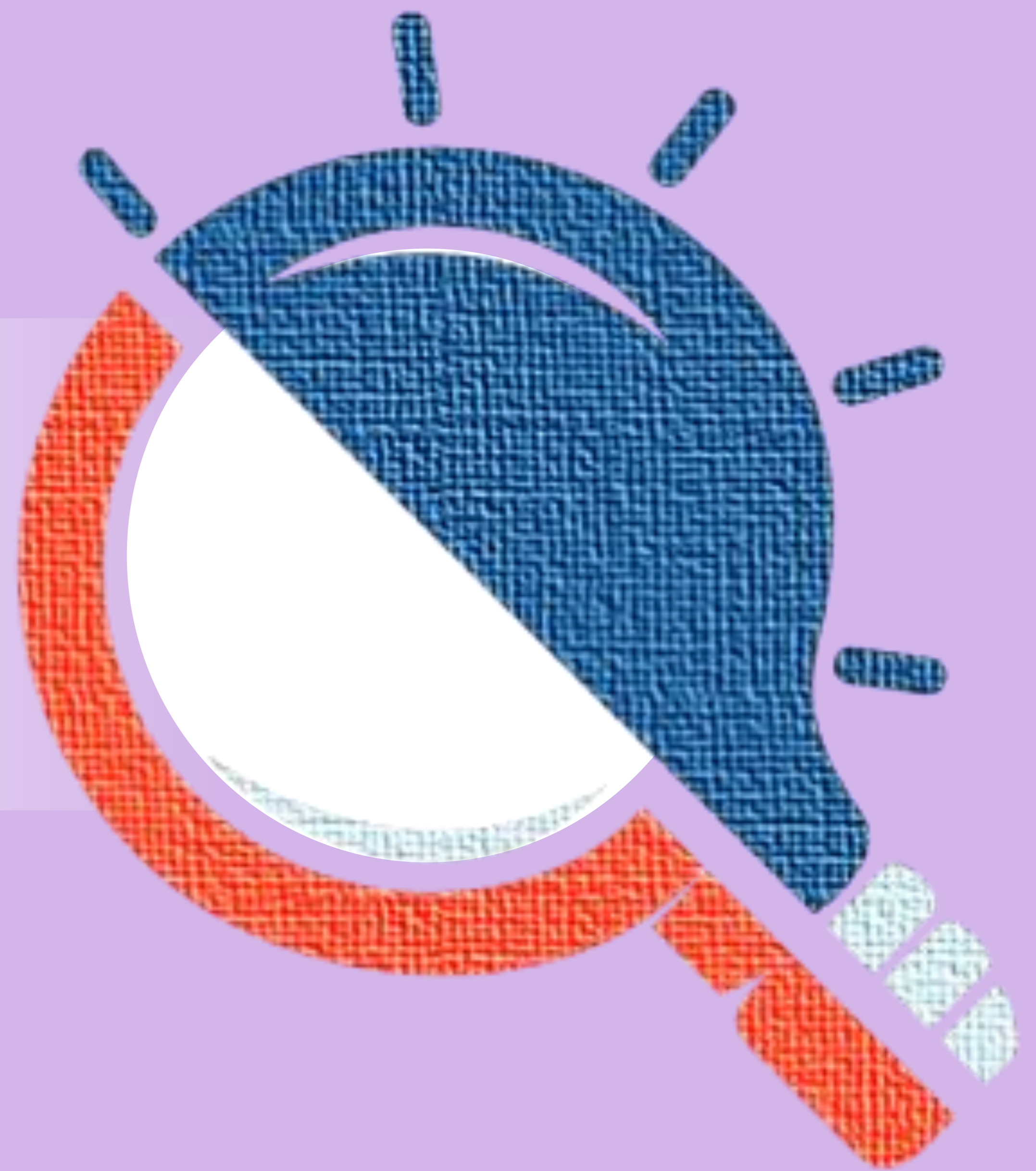

- Should not advise or hold a brief against the Government of India.
- भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकते और न ही उसके खिलाफ वकालत कर सकते हैं।

- Should not defend accused persons in criminal cases without the government’s permission./ सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों का बचाव नहीं कर सकते।

- Should not accept appointment as a director in any company without government approval. / सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकते।

NATURE OF OFFICE

- **The Attorney General is not a government servant.**
  महान्यायवादी (Attorney General) सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं।

- **He is part of the Union Executive but acts as an independent legal advisor.**
  वे संघ कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

- **He can practice privately, but cannot appear against the Government of India. / वे निजी रूप से वकालत कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ पेश नहीं हो सकते।**

IMPORTANCE

- Acts as the chief legal defender of the Union Government.
  संघ सरकार के मुख्य कानूनी रक्षक (defender) के रूप में कार्य करता है।

- Ensures that all government actions are within the legal and constitutional framework./ यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की सभी कार्रवाइयाँ कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर हों।

- Plays a key role in maintaining rule of law in governance./ शासन में कानून के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Advocate General of State

The Advocate General is the highest law officer of a State — similar to the Attorney General of India at the Union level.
महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है — जैसे केंद्र स्तर पर भारत का महान्यायवादी

This office is established under Article 165 of the Indian Constitution./ यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

1. Appointment and Qualifications -

Appointed by:
- The Governor of the State.
- राज्य के राज्यपाल द्वारा।

Qualifications -
Must be a person who is qualified to be appointed as a judge of a High Court, i.e./ वह व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, अर्थात—

Qualifications -

- Citizen of India / भारत का नागरिक होना चाहिए।
- Has held a judicial office for 10 years, or
- कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या
- Has been an advocate in a High Court for 10 years.
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

Term of Office
कार्यकाल

- The term is not fixed by the Constitution.
- कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है।
- The Advocate General holds office during the pleasure of the Governor. / महाधिवक्ता राज्यपाल की इच्छा (Pleasure) तक पद पर बने रहते हैं।
- Resignation: Can resign by submitting a letter to the Governor. / त्यागपत्र: राज्यपाल को पत्र देकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।

Remuneration:
वेतन/मानदेय:

- Decided by the Governor.
- राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Duties and Functions
कर्तव्य और कार्य

- **The Advocate General's main functions are:**
- i. To advise the State Government on legal matters referred to him. (राज्य सरकार को संदर्भित कानूनी मामलों पर सलाह देना।)
- ii. To perform other legal duties assigned by the Governor. राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करना।
- iii. To appear on behalf of the State Government in: राज्य सरकार की ओर से निम्नलिखित न्यायालयों में उपस्थित होना:
  - (a) The High Court (उच्च न्यायालय)
  - (b) The Supreme Court, if the state is concerned सुप्रीम कोर्ट (यदि मामला राज्य से संबंधित हो)

Rights and Privileges
अधिकार और विशेषाधिकार

- Has the right of audience in all courts within the state.
  राज्य के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने (वकालत करने) का अधिकार होता है।

- Has the right to speak and take part in the proceedings of both Houses of the State Legislature (if it is bicameral), but cannot vote.
  राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों (यदि द्विसदनीय हो) की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता।

- Can be invited to attend legislative committee meetings.
  उन्हें विधायी समितियों की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है।

Limitations
सीमाएँ

- Cannot advise or hold a brief against the State Government.
  राज्य सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकते और न ही उसके खिलाफ वकालत कर सकते हैं।
- Should not defend accused persons in criminal cases without the state government's permission./राज्य सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों का बचाव नहीं कर सकते।
- Should not accept any private employment that could cause a conflict of interest./ ऐसा कोई निजी कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जिससे हितों का टकराव हो।

Nature of Office
पद की प्रकृति

- The Advocate General is not a full-time government servant.
  महाधिवक्ता पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं।
- He is independent in performing his legal duties.
  वे अपने कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन में स्वतंत्र होते हैं।
- He can practice privately, but not against the State Government.
  वे निजी रूप से वकालत कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध पेश नहीं हो सकते।

Importance / महत्व

- Acts as the chief legal advisor to the State Government.
  राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

- Ensures that all actions of the State are legally sound and constitutional.
  यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की सभी कार्रवाइयाँ कानूनी और संवैधानिक रूप से सही हों।

- Plays a vital role in upholding the rule of law at the state level.
  राज्य स्तर पर कानून के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Which of the following statements about the All India Services (AIS) is correct?

ऑल इंडिया सर्विसेज (AIS) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

[Ssc phase 13, 31/07/2025]

(a) All India Services officers can be transferred between states without the consent of the state governments. / ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों का राज्यों के बीच स्थानांतरण राज्य सरकारों की सहमति के बिना किया जा सकता है।

(b) The officers are recruited and controlled by the State Governments only. / अधिकारियों की भर्ती और नियंत्रण केवल राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(c) The officers serve the Union Government exclusively.
अधिकारी केवल केंद्र सरकार की ही सेवा करते हैं।

(d) The ultimate control lies with the Union Government.
अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है।

ANSWER B

Which of the following commissions is NOT a statutory body in India? / भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) नहीं है?

[SSC Steno, 06/08/2025, Shift-1]

(a) National Commission for Scheduled Tribes

(a) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(b) National Human Rights Commission/ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(c) National Commission for Farmers / राष्ट्रीय किसान आयोग

(d) National Commission for Women/ राष्ट्रीय महिला आयोग

ANSWER a

What was the role of the University Grants Commission (UGC), established in 1956?

1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की भूमिका क्या थी?

[SSC Steno, 06/08/2025, Shift-2]

(a) To regulate trade agreements
(a) व्यापार समझौतों को विनियमित करना
(b) To promote agricultural development/ कृषि विकास को बढ़ावा देना
(c) To manage industrial policies / औद्योगिक नीतियों का प्रबंधन करना
(d) To oversee and fund higher education institutions in India / भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की निगरानी करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना

ANSWER d

Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

[SSC Steno, 07/08/2025, Shift-2]

1. All-India Services common to Union & states.

अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्यों दोनों के लिए समान होती हैं।

2. Controlled by state governments only.

इनका नियंत्रण केवल राज्य सरकारों के पास होता है।

(a) Both 1 and 2 / 1 और 2 दोनों

(b) Only 2 / केवल 2

(c) Neither 1 nor 2 / न तो 1 न ही 2

(d) Only 1 / केवल 1

ANSWER d

Which of the following accurately describes the statutory responsibilities of the Lokpal under the Lokpal and Lokayukt as Act, 2013? / लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों का सही वर्णन निम्न में से कौन-सा है?

[SSC Steno, 07/08/2025, Shift-2]

(a) The Lokpal is mandated to provide the President with an annual report, which will be laid before both Houses of Parliament. / लोकपाल को राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

(b) The Lokpal operates under the direct administrative control of the Prime Minister's Office. / लोकपाल प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

(c) The Lokpal must submit regular reports to the Election Commission for public disclosure. / लोकपाल को सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए चुनाव आयोग को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

(d) The Lokpal is a constitutional body tasked with making final judgments in corruption cases./ लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है जिसे भ्रष्टाचार मामलों में अंतिम निर्णय देने का कार्य सौंपा गया है।

ANSWER a

Which commission recommended a Permanent Secretariat for the Inter-State Council?
अंतर-राज्य परिषद के लिए स्थायी सचिवालय की सिफारिश किस आयोग ने की थी?
[SSC CGL Tier 1, 13 Sep 2025, Shift-1]

(a) Rajamannar Committee / राजमन्नार समिति

(b) Punchhi Commission / पुंछी आयोग

(c) Sarkaria Commission / सरकारिया आयोग

(d) Venkatachelliah Commission/ वेंकटचेलैया आयोग

ANSWER C

Which Article enables the President to establish an Inter-State Council?

राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है?

[SSC CGL Tier 1, 13 Sep 2025, Shift-1]

(a) Article 263 / अनुच्छेद 263

(b) Article 264 / अनुच्छेद 264

(c) Article 312 / अनुच्छेद 312

(d) Article 262 / अनुच्छेद 262

ANSWER A

Consider the following statements:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Inter-State Council is a constitutional body under Article 263.
अंतर-राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।

2. Its recommendations are binding.
इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं।

[SSC CGL Tier 1, 13 Sep 2025, Shift-3]

(a) Only 1/ केवल 1
(b) Only 2 / केवल 2
(c) Both 1 and 2 / 1 और 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2

ANSWER A

Zonal Councils were created by the States Reorganisation Act, 1956.

क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा किया गया था।

[SSC CGL Tier 1, 14 Sep 2025, Shift-2]

(a) States Reorganisation / राज्य पुनर्गठन

(b) Finance Commission / वित्त आयोग

(c) Panchayati Raj / पंचायती राज

(d) Representation of People / जन प्रतिनिधित्व

ANSWER A

As per Article 279A, GST Council's decisions require what majority of weighted votes?

अनुच्छेद 279A के अनुसार, GST परिषद के निर्णयों के लिए भारित मतों का कितना बहुमत आवश्यक है?

[SSC CGL Tier 1, 13 Sep 2025, Shift-2]

(a) Simple majority / साधारण बहुमत

(b) Three-fourths majority / तीन-चौथाई बहुमत

(c) Two-thirds majority / दो-तिहाई बहुमत

(d) Half majority/ आधा बहुमत

ANSWER B

Which statement applies to weighted voting under Article 279A(9) (GST Council)?

अनुच्छेद 279A(9) (GST परिषद) के तहत भारित मतदान के बारे में कौन-सा कथन सही है?

[SSC CGL Tier 1, 18 Sep 2025, Shift-1]

(a) Centre holds 75% power / केंद्र के पास 75% शक्ति होती है।

(b) Passed by Centre and one State
केंद्र और एक राज्य द्वारा पारित किया जाता है।

(c) States collectively have twice Centre's weight
राज्यों का सामूहिक भार केंद्र के भार से दोगुना होता है।

(d) Each State has equal weight as Centre
प्रत्येक राज्य का भार केंद्र के बराबर होता है।

ANSWER C

Consider the following: / निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. GST Council makes binding recommendations.
जीएसटी परिषद बाध्यकारी सिफारिशें करती है।

2. Art 246A allows States to legislate on intra-state supply.
अनुच्छेद 246A राज्यों को राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है।

[SSC CGL Tier 1, 18 Sep 2025, Shift-1]

(a) Only 1 / केवल 1
(b) Only 2 / केवल 2
(c) Both 1 and 2 / 1 और 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2

ANSWER C

Which statement about the Finance Commission is correct?

वित्त आयोग के बारे में कौन-सा कथन सही है?

[SSC CGL Tier 1, 19 Sep 2025, Shift-1]

(a) Recommendations are binding / सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं

(b) Members have fixed protected tenure
सदस्यों का निश्चित सुरक्षित कार्यकाल होता है

(c) Recommendations are advisory
सिफारिशें परामर्शात्मक (सलाहकारी) होती हैं

(d) Submits report directly to Parliament
अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को प्रस्तुत करता है

ANSWER C

The Chairperson of the GST Council is the Union Finance Minister of India.

जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं।

[SSC CGL Tier 1, 19 Sep 2025, Shift-3]

(a) Prime Minister / प्रधानमंत्री

(b) Union Finance Minister / केंद्रीय वित्त मंत्री

(c) President / राष्ट्रपति

(d) Vice-President / उपराष्ट्रपति

ANSWER B

Finance Commission is established under Article _____.

वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है?

[SSC CGL Tier 1, 22 Sep 2025, Shift-1]

(a) 280

(b) 268

(c) 246

(d) 365

Which article of the Indian Constitution mentions that There shall be a Comptroller and Auditor-General of India?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) होगा?

[SSC CHSL, 29 Nov 2025, Shift-2]

(a) Article 142 / अनुच्छेद 142
(b) Article 144 / अनुच्छेद 144
(c) Article 146 / अनुच्छेद 146
(d) Article 148 / अनुच्छेद 148

ANSWER D

Which All-India Service is controlled jointly by Centre and State?

कौन-सी अखिल भारतीय सेवा का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है?

[SSC CGL Tier 1, 25 Sep 2025, Shift-2]

(a) IAS / आईएएस

(b) DSC / डीएससी

(c) State PCS / राज्य पीसीएस

(d) Indian Post / इंडियन पोस्ट

ANSWER A

The Finance Commission is constituted by the President at the end of each year. / राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के अंत में वित्त आयोग का गठन करते हैं।

(SSC CPO 2019)

(a) Tenth / दसवां

(b) Sixth/ छठा

(c) Fifth / पाँचवां

(d) Seventh / सातवां

ANSWER C

In which year was the first Finance Commission of India established?

भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(RRB Group-D 2022; SSC Steno Grade 'C & D' 2020)

(a) Year 1951 / वर्ष 1951

(b) Year 1965 / वर्ष 1965

(c) Year 1948 / वर्ष 1948

(d) Year 1956 / वर्ष 1956

ANSWER A

Which article of the Indian Constitution mentions that "There shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State"?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि "संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा"?

(SSC Steno Grade 'C & D' 2023)

(a) 315 (2)
(b) 315 (4)
(c) 315 (3)
(d) 315 (1)

ANSWER C

According to the Constitution, a new All India Service can be started:

संविधान के अनुसार, नई अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है:

(HPSC Pre 2019)

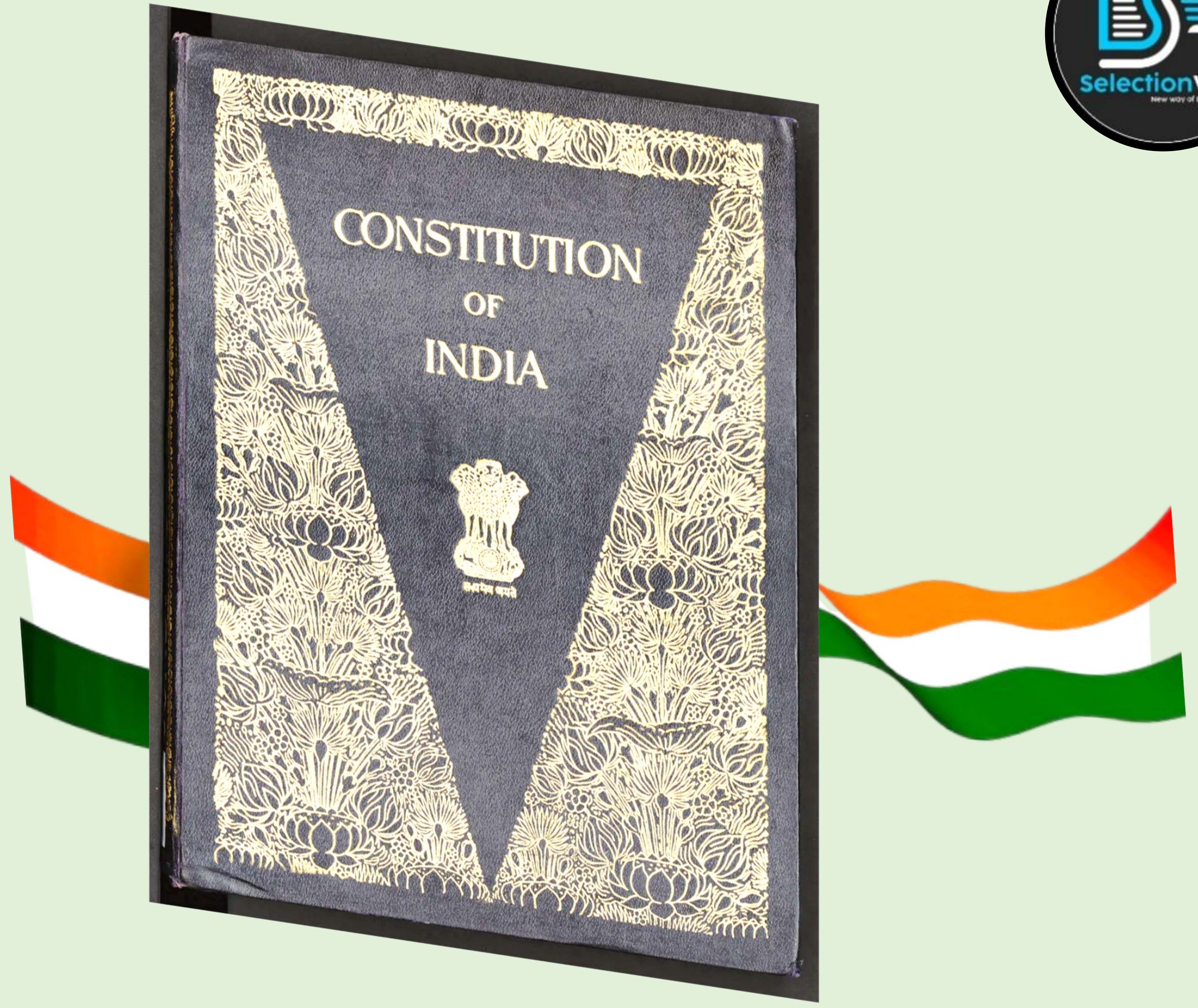

(a) By the legislature of more than two-thirds of the Legislative Assemblies of the States

राज्यों की विधानसभाओं के दो-तिहाई से अधिक के विधानमंडल द्वारा

(b) By Rajya Sabha / राज्यसभा द्वारा

(c) By order of the President / राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

(d) By Lok Sabha / लोकसभा द्वारा

ANSWER B

Which of the following articles of the Constitution deals with the expenditure of Public Service Commissions?

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय (Expenditure) से संबंधित है?

(MPPSC Pre 2023)

(a) Article 320 / अनुच्छेद 320

(b) Article 321 / अनुच्छेद 321

(c) Article 322 / अनुच्छेद 322

(d) Article 323 / अनुच्छेद 323

ANSWER C

Who appoints the Chairman of the State Public Service Commission?

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

(UKPSC Pre 2021; MPPSC Pre 2022)

(a) Chairman of Union Public Service Commission
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

(b) Governor of the State / राज्य का राज्यपाल

(c) President of India / भारत के राष्ट्रपति

(d) Chief Minister of the State / राज्य के मुख्यमंत्री

ANSWER B

A joint Public Service Commission can be created for two or more than two states:

दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है:

(UPPSC Pre 2022)

(a) Lok Sabha / लोकसभा

(b) By the Parliament on the request of the States concerned
संबंधित राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा

(c) Rajya Sabha / राज्यसभा

(d) Union Public Service Commission / संघ लोक सेवा आयोग

ANSWER B

Where are the salary and service conditions of the Comptroller and Auditor General of India specified?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वेतन और सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्ट की गई हैं?

(MPPSC Pre 2023)

(a) First Schedule, Constitution of India / प्रथम अनुसूची, भारत का संविधान

(b) Second Schedule, Constitution of India / द्वितीय अनुसूची, भारत का संविधान

(c) Third Schedule, Constitution of India / तृतीय अनुसूची, भारत का संविधान

(d) Fourth Schedule, Constitution of India / चतुर्थ अनुसूची, भारत का संविधान

For how many maximum years can the Comptroller and Auditor General of India hold his office?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अधिकतम कितने वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं?

(MPPSC Pre 2023)

(a) 4 years / 4 वर्ष

(b) 5 years / 5 वर्ष

(c) 6 years / 6 वर्ष

(d) 7 years / 7 वर्ष

ANSWER C

Which of the following statements regarding the Comptroller and Auditor General of India (CAG) is/are correct? / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

[IB ACIO 2024]

1. The office of the Comptroller and Auditor General (CAG) was started in the year 1919. / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यालय वर्ष 1919 में शुरू हुआ था।
2. The organization that CAG heads is known as the Indian Audit and Accounts Department (IA and AD).
जिस संगठन का प्रमुख CAG होता है उसे भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (IA & AD) कहा जाता है।
3. The office of CAG headquartered in New Delhi is a large organisation which is the single audit authority for the Central, State and Union Territory Governments and local bodies. / नई दिल्ली में मुख्यालय वाला CAG का कार्यालय एक बड़ा संगठन है जो केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों के लिए एकमात्र लेखा परीक्षा प्राधिकरण है।
4. CAG was first elected to the Board of Auditors of the United Nations since July, 1991./ CAG को जुलाई 1991 से संयुक्त राष्ट्र के ऑडिटर्स बोर्ड में पहली बार चुना गया था।

Codes:

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3
(c) 1 and 4 (d) 3 and 4

ANSWER B

Under which article of the Indian Constitution was the National Commission for Scheduled Castes constituted?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है?

[MPPSC Pre 2023]

(a) Article 332/ अनुच्छेद 332

(b) Article 338 / अनुच्छेद 338

(c) Article 342 / अनुच्छेद 342

(d) Article 328 / अनुच्छेद 328

ANSWER B

Which of the following statements is/are correct about the National Commission for Scheduled Castes?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

[RRB NTPC 2022]

1. It investigates and monitors all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes.
यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है।

2. It participates and advises in the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes.
यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है।

Codes:

(a) Only 1 / केवल 1
(b) Only 2 / केवल 2
(c) Both 1 and 2 / 1 और 2 दोनों
(d) Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2

ANSWER C

In which of the following years did the National Commission for Scheduled Tribes come into existence as a separate commission?

निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया?

[SSC MTS 2021]

(a) 2000
(b) 2006
(c) 2004
(d) 2002

ANSWER C

What is the total number of members besides the Chairman and Vice-Chairman of the National Commission for Scheduled Tribes?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं?
[MPPSC Pre 2023]
(a) 1 member / 1 सदस्य
(b) 2 members / 2 सदस्य
(c) 3 members / 3 सदस्य
(d) 4 members / 4 सदस्य

ANSWER C

The National Commission for the Backward Classes (NCBC) was constituted by the insertion of which article of the Constitution?

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद को जोड़कर किया गया?

[SSC CGL Tier-1 2020]

(a) 338(B)
(b) 338(A)
(c) 328(B)
(d) 326(A)

ANSWER A

Which party government announced the formation of a second Backward Classes Commission in the year 1978?

1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किस दल की सरकार ने की थी?

[HSSC 2019]

(a) Indian National Congress Party / भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

(b) Bharatiya Janata Party / भारतीय जनता पार्टी

(c) Janata Party / जनता पार्टी

(d) United Democratic Party / यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी

ANSWER C